



दिनांक 27.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति 290 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमेठी/थाना रामगंज

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.05.2026 को थाना रामगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त गणेश उर्फ मनीष उर्फ मिन्टू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अमेठी, चन्दौली, जौनपुर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गणेश उर्फ मनीष उर्फ मिन्टू निवासी कैथा उर्फ टडिया खुर्द थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 04 लाख 64 हजार रुपये नगद
- लूट के पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 वैगोनार कार आदि बरामद

दिनांक 27.05.2026 को थाना देवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोवर्धन कॉलोनी गेट के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—जसीम अहमद 2—सैफ घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—मो0इस्माइल 4—मो0अबरार 5—बलवन्त सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 लाख 64 हजार रुपये नगद, लूटे गये पीली—सफेद धातु के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 वैगेनार कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.05.2026 को थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0सैफ के विरुद्ध जनपद सीतापुर, बाराबंकी एवं कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त मो0 इस्माइल के विरुद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर एवं कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त मो0जसीम के विरुद्ध जनपद बाराबंकी, बहराइच के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—जसीम अहमद निवासी ग्राम अलहइयापुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
- 2—सैफ निवासी ग्राम सोढीपुर थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।
- 3—मो0इस्माइल निवासी चांदपुर रूधौली थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।
- 4—मो0अबरार निवासी ददरा नोखेपुरवा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
- 5—बलवन्त निवासी देवगांव पश्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

- 1-लूटे गये 04 लाख 64 हजार रूपये नगद।
- 2-लूटे गये पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 3-04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 वैगेनार कार आदि।

जनपद चन्दौली/थाना मुगलसराय

- लूट की घटना का अनावरण
 - 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 60 हजार रूपये नगद
 - 04 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 26.05.2026 को थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चौरहट, ओपी गार्डन के पास से 04 अभियुक्तों 1-आर्यन 2-शिवांग 3-मो-तारिक उर्फ आर्यन 4-देव उर्फ दयाल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 60 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2026 को थाना मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-आर्यन निवासी सीर गोवर्धन थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2-शिवांग निवासी महमूरगंज थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3-मो-तारिक उर्फ आर्यन निवासी मोहनिया कैमूर बिहार।
- 4-देव उर्फ दयाल निवासी ढेलाबीर टिकरी थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

- 1-लूट के 60 हजार रुपये नगद।
- 2-04 मोबाइल फोन।
- 3-घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 27.05.2026 को थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर क्यू तिराहे के पास से अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सुमित निवासी जालीगंज क्रासिंग थाना हसनगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

- 1-चोरी की 11 मोटर साइकिल।

➤ जनपद देवरिया/थाना रामपुर कारखाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1-ओमप्रकाश को धारा 147/302/307/149/325/323 भादवि व 4/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2-उमेश 3-राजू

को धारा 147 / 302 / 149 / 307 / 325 / 323 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4-अर्जुन को धारा 148 / 302 / 149 / 307 / 325 / 323 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 45-45 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 34 / 436 / 504 / 506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-कृष्णपाल उर्फ नेता 2-सुरेश 3-राजेन्द्र को आजीवन कारावास व 45-45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 27-27 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 34 / 201 / 404 / 411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-चिरकुट उर्फ सईदअली 2-सादाब को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20/05 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1-दिनेश कुमार को धारा 363 / 366 / 120बी भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त संजय कुमार को धारा 363 / 366 / 120बी भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना जेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धीरेन्द्र को 20 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ बुलू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
